राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड
'निर्वाचन भवन'
न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2021
महत्वपूर्ण निर्देश संख्या : 01/2021A

Website : secjharkhand.nic.in
Email : jsec-jhr@nic.in
दूरभाष 0651–2284012 / 2284008 / 6457479
फैक्स 0651–2284002 / 2280287 / 2280932

पत्रांकः 03नि0/प0–02/2021 रा0नि0आ0...... राँची, दिनांक.........................

प्रेषक,
राधे श्याम प्रसाद,
सचिव।

सेवा में,
जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त,
गढ़वा।

विषयः– त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2021: स्थानांतरित पंचायतों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का गठन, परिसीमन एवं संख्यांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना के द्वारा गढ़वा जिलान्तर्गत भवनाथपुर प्रखण्ड के तीन ग्राम पंचायतों यथाः–डुमरसोता, हरिहरपुर एवं मझिगांवा (सभी राजस्व ग्राम सहित) को काण्डी प्रखण्ड में शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों के स्थानान्तरण से संबंधित पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में भी गठन, परिसीमन एवं संख्यांकन की स्थिति उत्पन्न हुई है।

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के अध्याय 2 के अन्तर्गत नियम–3 के अधीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् में निर्वाचन कराने के निमित्त उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला दण्डाधिकारी द्वारा क्रमशः झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 16, धारा 35 एवं धारा 50 के अधीन प्रादेशिक/क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक–1615 दिनांक–23.09.2014 में पंचायतों के गठन, परिसीमन एवं संख्यांकन से संबंधित विस्तार से निर्देश अंकित है। अतः उक्त प्रशासनिक ईकाईयों के परिवर्त्तन से प्रभावित होने वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के गठन, परिसीमन एवं संख्यांकन के निमित्त राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित अतिरिक्त अनुदेश निर्गत करता है :–

Scanned with CamScanner

(1) ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं0–347, दिनांक–23.01.2017 द्वारा गढ़वा जिलान्तर्गत भवनाथपुर प्रखण्ड के 3 ग्राम पंचायतों यथाः–डुमरसोता, हरिहरपुर एवं मझिगांवा को काण्डी प्रखण्ड में शामिल किया गया है। इस प्रकार इस जिले के भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्त्तन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत का संख्यांकन तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का गठन, परिसीमन एवं संख्यांकन की कार्रवाई की जाएगी एवं नक्शा तैयार किया जाएगा। चूँकि तीनों ग्राम पंचायत सम्पूर्ण रूप से स्थानांतरित होकर यथारूप में काण्डी प्रखण्ड में शामिल हुए हैं। अतएव उक्त ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मात्र पंचायत समिति एवं जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का गठन, परिसीमन एवं संख्यांकन की कार्रवाई की जाएगी।

(2) अधिनियम एवं नियमावली के संगत प्रावधानों के तहत् गठित एवं संख्यांकित प्रादेशिक/क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 8(क) के तहत् प्रपत्र–1 में पंचायत समिति के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखण्ड कार्यालय में तथा जिला परिषद् के मामले में संबंधित प्रखण्ड कार्यालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी का कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय तथा जिला परिषद् के कार्यालय में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार प्रकाशित की जाएगी :–

क्र0सं0	विषय	तिथि
1	क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के गठन, परिसीमन एवं संख्यांकन से संबंधित प्रपत्र–1 के प्रारूप का प्रकाशन	05.07.2021 को
2	प्रकाशित प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करना	14.07.2021 तक
3	प्राप्त आपत्ति/सुझाव का निष्पादन	22.07.2021 तक
4	आयोग स्तर पर सत्यापन	23.07.2021 तक
5	जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रपत्र–1 का अधिसूचना के माध्यम से अंतिम प्रकाशन तथा जिला गजट की प्रति आयोग एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराना	24.07.2021 तक

(3) जिला दण्डाधिकारी से अनुरोध है कि इस निर्देश पत्र एवं कार्य योजना (Action Plan) की पर्याप्त प्रति अपने स्तर से तैयार कर सभी संबंधित को तुरंत उपलब्ध करा दी जाए।

Scanned with CamScanner

संबंधित अधिकारियों की जिला स्तर पर बैठक बुलाकर संलग्न कार्य योजना के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के गठन, परिसीमन एवं संख्यांकन की कार्रवाई के संबंध में आयोग के उपरोक्त निर्देशों को स्पष्ट कर दिया जाए ताकि विहित समय सारणी के अनुसार सभी कार्रवाईयाँ सुनिश्चित की जा सके।

आयोग के पत्रांक–1615 दिनांक–23.09.2014 को उस हद तक संशोधित समझा जाए।

अनुलग्नक : 1. आयोग का पत्रांक–1615,
दिनांक–23.09.2014
2. ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना
सं0–347, दिनांक 23.01.2017

विश्वासभाजन

(राधे श्याम प्रसाद)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 03नि0/पं0–02/2021 रा0नि0आ0......499 राँची, दिनांक 1.7.21

Scanned with CamScanner